निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड
उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत (अल्मोड़ा) 263651
Email-dirudyanhorti@gmail.com

पत्रांक– 3275/एच.डी.एस./मा. प्रशि./2025–26/ चौबटिया   दिनांक 26 फरवरी, 2026

एक वर्षीय माली प्रशिक्षण हेतु विज्ञप्ति(सत्र 2026–27)

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड, उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत (अल्मोड़ा) के अन्तर्गत कार्यालय अधीक्षक, पं0 दीनदयाल उपाध्याय, राजकीय उद्यान, चौबटिया में एक वर्षीय माली प्रशिक्षण कार्यक्रम (सत्र 2026–27) में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से 60 सीटों के सापेक्ष निम्न मानदण्ड एवं विवरणानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। अतः माली प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उत्तराखण्ड के इच्छुक अभ्यर्थी **आवेदन पत्र (प्रारूप अ प्रारूप ब)** को भरकर आवेदन पत्र निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत (पिन 263651) को **स्पीडपोस्ट के माध्यम से** ही प्रेषित करें तांकि आवेदन पत्र ससमय प्राप्त हो सकें। आवेदन पत्र को निदेशालय अथवा कार्यालय मुख्य/जिला उद्यान अधिकारियों से प्राप्त किया जा सकता है।

अति महत्वपूर्ण निर्देश

1– अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हता कक्षा 5 वीं उत्तीर्ण है। इण्टरमीडिएट से अधिक शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थी आवेदन न करें। उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

2– अभ्यर्थी की आयु 18 से 25 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी।

3– प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों के रहने हेतु आवास की व्यवस्था अधीक्षक, पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय उद्यान, चौबटिया (अल्मोड़ा) द्वारा उपलब्ध आवास के अनुसार की जायेगी एवं खाने तथा अन्य व्यवस्थायें प्रशिक्षणार्थियों को स्वयं वहन करनी होगी।

4– प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ओ0एम0आर0 सीट के माध्यम से सम्पन्न करायी जायेगी तथा प्रशिक्षण हेतु चयन जनपदवार प्रवीणता सूची (मेरिट) के आधार पर किया जायेगा।

5– प्रशिक्षण की अवधि में चयनित प्रशिक्षणार्थियों को रू0 200.00 (रू0 दो सौ मात्र) की छात्रवृत्ति प्रतिमाह देय होगी।

6– अभ्यर्थियों को अपना पूर्ण स्पष्ट पता लिखा हुआ **4"X 8"** का पॉच रूपये का एक टिकट लगा हुआ लिफाफा एवं पासपोर्ट साईज का एक फोटो भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

7– आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि दिनांक 16.03.2026 है। आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में निदेशालय में दिनांक 16.03.2026 को सायं 05.00 बजे तक प्राप्त होने चाहिए।

8– परीक्षा केन्द्र एवं लिखित परीक्षा की तिथि की सूचना उपयुक्त पाये गये आवेदन पत्रों के आधार पर संबंधित अभ्यर्थी को पृथक से भेजी जायेगी।

9– प्रशिक्षण में सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु नियमानुसार निम्न तालिका में दिये गये वर्ग वार श्रेणी के अनुसार सीट आरक्षित की गई है। ये सीटें प्रवीणता (मेरिट) सूची के आधार पर जनपदवार भरी जाएगी।

10– शैक्षिक योग्यता, जन्मतिथि, आरक्षण वर्ग, स्थायी निवास एवं पहचान प्रमाण पत्र सम्बन्धी समस्त अभिलेख/दस्तावेज अवश्य संलग्न करें। गलत जानकारी/दस्तावेज प्रदान करने पर अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।

11– माली प्रशिक्षण संबंधी जानकारी किसी भी कार्यदिवस में **सायं 5:00 बजे** तक निदेशालय से प्राप्त की जा सकती है।

जनपदवार आंवटित सीटो का विवरण

जनपद का नाम	सामान्य Gen	अनुसूचित जाति SC	अनुसूचित जन जाति ST	अन्य पिछड़ी जाति OBC	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS	कुल योग
अल्मोडा	2	1	–	1	1	5
नैनीताल	3	1	–	–	1	5
पिथौरागढ	2	1	1	–	1	5
उधमसिह नगर	2	1	–	1	–	4
बागेश्वर	3	1	–	–	–	4
चम्पावत	3	1	–	–	–	4
पौडी	3	1	–	–	1	5
टिहरी	2	1	–	1	1	5
चमोली	2	1	1	–	1	5
उत्तरकाशी	1	1	–	3	–	5
देहरादून	3	–	1	1	–	5
हरिद्वार	2	1	–	1	–	4
रूद्रप्रयाग	3	1	–	–	–	4
कुल सीटे	**31**	**12**	**3**	**8**	**6**	**60**

निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उत्तराखण्ड